अनवान रामप्रताप बनाम तुलसी देवी व अन्य
वि.प्रा. पत्र संख्या 34/2023

23.10.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में प्रतिस्थापित कर प्रार्थीया को माननीय न्यायालय द्वारा वास्ते पेश होने समन जारी किया गया था तथा आगामी पेशी 14.06.2023 नियत की गई थी। जिस पर प्रार्थी हाजिर अदालत नही हो पाने के कारण प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है।

प्रार्थीया लगभग 70 वर्ष की वृद्ध औरत है तथा प्रार्थीया को तारीख पेशी मुगालदा होने के कारण नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में प्रस्तुत नही हो सकी अब प्रार्थीया को जेसे ही तारीख पेशी का ध्यान हुआ तो प्रार्थीया बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया के खिलाफ की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जावे तथा प्रार्थीया को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– प्रतिवादी संख्या 10 की तामील होने के बावजुद भी जानबुझकर हाजिर नही हुई थी जिस पर उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई थी 14.06.2023 के बाद तारीख पेशी 21.06.2023 उसके बाद 06.07.2023 उसके बाद 11.08.2023 उसके बाद 08.09.2023 रखी गई जबकी प्रार्थना पत्र 08.09.2023 को प्रस्तुत किया गया जो मियाद बाहर है इसलिए भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अप्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही अकिंत नही किया गया कि इस आदेश की जानकारी कोनसी तारीख को हुई इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कही उल्लेख नही किया गया है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। तथा अप्रार्थीया ने अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्च खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 10 सरबती देवी को न्यायालय मे हाजिर होने हेतु जारी नोटिस जारी किया गया था तथा तामिल 14.06.2023 निश्चित की गई थी परन्तु दिनांक 14.06.2023 को नोटिस बाद तामिल प्राप्त नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। यह कि प्रार्थी 70 वर्षीय वृद्ध औरत है और वाद अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की तरफी से न्यायाधीन है अतः वाद के निस्तारण हेतु अप्रार्थी संख्या 10 की सुना जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:21 IST
Reason: SCMatter Testdc

अतः अप्रार्थीया संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 14.06.2023 को अप्रार्थी संख्या 10 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 तथा जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सख्या 10 एवं 14 हेतु दिनांक 20.11.24 को पेश हो।